SALE NOTICE

RAYAN LABORATORIES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Registered Office of the Company: 30/31, Basement, Old Rajender Nagar, New Delhi – 110 060

Factory Address: Khasra No. 390, Village Matlabpur, Roorkee, Uttarakhand

(CIN - U24234DL2006PTC211385)

Notice is hereby given to the public in general in connection with sale of Rayan Laboratories Private Limited as a going concern (in liquidation) ("Corporate Debtor"), offered by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench, in its order dated September 14, 2021 ordered for Liquidation of the Company as per the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

The assets and properties of Corporate Debtor consists, sale as per Regulation 32(c) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 of following assets. The bidding shall take place through e-auction platform at the web portal https://ncltauction.auctiontiger.net

S.No.	Particulars	Details
1	Date and Time of Auction	**Date:** September 16, 2022 **Time:** 11:30 a.m. to 2:00 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes)
2	Address and e-mail of the Liquidator, as registered with IBBI	103, First Floor, 7255, Ajindra Market, Shakti Nagar, Delhi-110 007 susheelgupta@hotmail.com
3	Process specific address for correspondence	103, First Floor, 7255, Ajindra Market, Shakti Nagar, Delhi-110 007

The e-auction will be first initiated for sale of the Corporate Debtor as a going concern under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

Particulars	**Reserve Price**	**Initial EMD Amount**	**Incremental Value**
The corporate debtor as a going concern	₹ 3,05,00,000/-	₹ 20,00,000/-	₹ 2,00,000/-

Important Notes:

1. The sale shall be on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IT IS", "WHATEVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" and as such, the sale shall be without any kind of warranties and indemnities.
2. An additional amount of ₹ 10 Lakh (approximately) is payable to the Uttarakhand Power Corporation Ltd. For the pre-liquidation period.
3. The details of the process and timelines are outlined in the E-Auction Process Document, which is available on the website https://ncltauction.auctiontiger.net
4. Interested bidders shall participate after **mandatorily** reading and agreeing to the relevant terms and conditions including as prescribed in E-Auction Process Documents and accordingly, submit their expression of interest in the manner prescribed in E-Auction Process Document.
5. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any assets thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
6. As per proviso to clause (f) of section 35 of the Code, the interested bidder shall not be eligible to submit a bid if it fails to meet the eligibility criteria as set out in section 29A of the Code (as amended from time to time).

Date and Place: August 31, 2022, Delhi

Sd/-

Susheel Kumar Gupta

IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419

Liquidator of Rayan Laboratories Pvt. Ltd.

(in liquidation)

SUSHEEL KUMAR GUPTA IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419 DELHI REG. NO. INSOLVENCY PROFESSIONAL

बिक्री सूचना
रेयान लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

कंपनी का पंजीकृत कार्यालयः 30/31, बेसमेंट, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
कारखाने का पताः खसरा नंबर 390, ग्राम मतलबपुर, रुड़की, उत्तराखंड
(सीआईएन – U24234DL 2006PTC211385)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार कंपनी के परिसमापन के लिए माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नई दिल्ली बेंच ने 14 सितंबर, 2021 के अपने आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा प्रस्तावित रेयान लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड(परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट देनदार") के रूप में की बिक्री के संबंध में आम जनता को नोटिस दिया जाता है। कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति और संपत्तियों इसमें भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016के विनियमन 320 के अनुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। बोली वेब पोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	नीलामी की तिथि और समय	दिनांकः 16 सितंबर, 2022 समयः सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक।(5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
2	परिसमापक का पता और ई–मेल, जैसा कि आईबीबीआई में पंजीकृत है	103, पहली मंजिल, 7255, अजिंदरा मार्केट, शक्ति नगर, दिल्ली–110007, susheelgupta@hotmail.com
3	पत्राचार के लिए प्रक्रिया विशिष्ट पता :	103, प्रथम तल, 7255, अजिंदरा मार्केट, शक्ति नगर, दिल्ली–1100074

ई–नीलामी सबसे पहले दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("कोड") के प्रावधानों के तहत कॉरपोरेट देनदार की बिक्री के लिए शुरू की जाएगी।

विवरण	आरक्षित मूल्य	प्रारंभिक ईएमडी राशि	वृद्धिशील मूल्य
विषयगत के रूप में कॉर्पोरेट देनदार	रु.3,05,00,000/	रु. 20,00,000/	रु.2,00,000/

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :
1. बिक्री "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है", "जो भी हो", "जो कुछ भी है" और "बिना संसाधन के आधार" पर होगीं और इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना होगी।
2. पूर्व–परिसमापन अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रु. 510 लाख (लगभग) की अतिरिक्त राशि देय है।
3. प्रक्रिया का विवरण और समय–सीमा ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज़ में उल्लिखित है, जो वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
4. इच्छुक बोलीकर्ता अनिवार्य रूप से ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज़ों में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ने और सहमत होने के बाद भाग लेंगे और तदनुसार, ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज़ में निर्धारित तरीके से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे।
5. समापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने/ई–नीलामी को स्थगित/रोकने /रद्द करने या किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति को बिना कोई कारण बताए वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
6. संहिता की धारा 35 के खंड (1) के प्रावधान के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता बोली जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह संहिता की धारा 29ए (समय समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।

दिनांक और स्थानः 31 अगस्त, 2022, दिल्ली

हस्ता /
सुशील कुमार गुप्ता
IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419
रेयान लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक(परिसमापन में)

हेतु संदर्शित करने की सूचना
(साधारण प्रारूप)

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर

वाद संख्या 743/22 — धारा 14 सरफेसी एक्ट
एक्सिस बैंक बनाम वसीम आदि

1– वसीम पुत्र अमर अहमद निवासी मकान नं. 996/75/7, 40 फुटा रोड नूर मस्जिद के पास, दक्षिणी खालापार मुजफ्फरनगर।
2– कैसर जहां पत्नि वसीम निवासी मकान नं0 2539, डबल खम्बा रोड, नूर मस्जिद के सामने किदवईनगर मुजफ्फरनगर।

चूंकि उपरिनामांकित वादी ने बैंक में बंधक सम्पत्ति पर कब्जा हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया। अत एवं आपको एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आप उक्त आवेदन के विरूद्ध आपत्ति/पक्ष प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 05.09.2022 को 10:00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्यक् रूप के अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंज्ञात हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित निकाली गई।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)
मुजफ्फरनगर।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियन बैंक Indian Bank | जोनल कार्यालय इंडियन बैंक जी–41, कनॉट प्लेस, दिल्ली–110001 | **सार्वजनिक सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सूचना – बैंक को दृष्टिबंधक और गैर दृष्टिबंधक चल वस्तुओं का कब्जा लेने के संबंध में – (बैंक को गैर दृष्टिबंधक आइटम्स का परित्याग)।

सेवा में, **1. मैसर्स हेन्ड (Hend) एंटरप्राइजेज, बेसमेंट 3553/एस, शीतला माता रोड, गुरूग्राम, 2. श्री संजय राणा पुत्र श्री उदय सिंह, निवासी मकान नंबर 1068/जे/1, दयानंद कालोनी, गुरूग्राम (स्वामी), 3. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री उदय सिंह, निवासी मकान नंबर 1068/जे/1, दयानंद कालोनी, गुरूग्राम (गारंटर)**

विषय : इंडियन बैंक, आईएमटी मानेसर शाखा आरईजी में ऋण खाता 6615751843

श्री संजय राणा ने हमसे कुछ सुविधाएं प्राप्त की थीं। उक्त ऋणों का प्रतिभुगतान कुछ सम्पत्ति(यों) के बंधक द्वारा प्रतिभूत है। मैसर्स हेन्ड (भ्मदक) एंटरप्राइजेज (स्वामी श्री संजय राणा) बैंक की बकाया राशि चुकाने में असफल रही है और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना दिनांकित **04–11–2019** के माध्यम से उनसे बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भुगतान 60 दिन के भीतर नहीं किया गया, तो बैंक प्रतिभूतियों का कब्जा लेने द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा।

जबकि श्री संजय राणा भुगतान करने में असफल रहे, बैंक ने यहां नीचे अधिक विस्तृत रूप से वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 05–08–2022 को ले लिया है।

बैंक ने, कब्जा लेने के समय पर, उन चल वस्तुओं/माल/आइटम्स की सूची तैयार की है, जो यहां नीचे अनुसूची–वर्णित सम्पत्ति के भीतर पाई गई थीं।

"उन चल वस्तुओं/माल/आइटम्स की एक सूची और पंचनामा अधिनियम के तहत विरचित नियमों में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है, जो बैंक के पास दृष्टिबंधक हैं तथा अनुसूची–वर्णित सम्पत्ति के भीतर पाई गई हैं।

बैंक ने अनुसूची–वर्णित सम्पत्ति के भीतर पाई गई उन आइटम्स की भी एक सूची तैयार की है, जो जो बैंक में दृष्टिबंधक नहीं हैं। आइटम्स का विवरण निम्नानुसार है :

शीर्ष तल (टॉप फ्लोर) : (1) एक कमरा मय वॉशरूम। 'एक तख्त एवं दो पुराने संदूक (डीडी), द्वितीय तल (सेकंड फ्लोर) : (1) तीन कमरे साथ में दो किचेन एवं दो वॉशरूम, प्रथम तल (फर्स्ट फ्लोर) : (1) तीन कमरे साथ में एक किचेन एवं एक वॉशरूम, भू तल (ग्राउण्ड फ्लोर) : (1) एक किचेन, 'दो एलपीजी सिलेंडर्स (पुराने) मय गैस स्टोव, (2) पहला कमरा : 'एक बेड (पुराना), 'सिंगल सीटर सोफा से थ्री सीटर सोफा (पुराना), 'एक लकड़ी की मेज (पुरानी), 'एक एलसीडी टीवी (पुराना), 'एक पंखा, 'एक स्प्लिट ए.सी. (हिटैची) पुराना, दूसरा कमरा भूतल पर, (1) एक पंखा, (2) एक मेज (लकड़ी की, पुरानी), लकड़ी की ड्राइंग टेबल (पुरानी), (3) दो फोल्डिंग बेड (पुराने), (4) एक विंडो ए/सी (कोरियो) पुराना, (5) एक पुरानी अल्मारी तालाबंद तीसरे कमरे के गेट के सामन, 'एक स्प्लेंडर बाइक (HR-26AX2543) पुराना मोबाइल, ए.ओ. के पास उपलब्ध।

एतद्द्वारा आपसे बैंक के पास दृष्टिबंधक नहीं रखी गई/अप्रभारित उक्त आइटम्स को दो दिन के समय के भीतर हटाने की व्यवस्था करने की मांग की जाती है।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन आइटम्स की किसी क्षति/चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन आइटम्स का कोई बीमा नहीं करवाएगा, क्योंकि ये बैंक के पास प्रभारित/दृष्टिबंधक नहीं हैं।

आप प्राधिकृत अधिकारी के साथ अग्रिम में समय निर्धारित कर उन चल वस्तुओं का कब्जा अपनी लागत और खर्च पर लेने हेतु स्वतंत्र हैं। यदि आप इन चल वस्तुओं को अतिशीघ्र तथा/अथवा दो दिन के भीतर नहीं हटाते हैं, तो बैंक आपको इस संबंध में आगे कोई सूचना दिए बगैर इन आइटम्स को परित्यक्त करने हेतु बाध्य होगा।

बैंक प्रतिभूतियों के किसी बीमा तथा/अथवा मूल्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त आइटम्स प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक अलग स्थान पर रखी गई हैं, यद्यपि बैंक इस हेतु कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है।

माल की सिपुर्दगी इस सूचना के दो दिन के भीतर लेने हेतु अंतिम सूचना का संज्ञान लें, जिसमें असफल रहने पर बैंक सभी आइटम्स के परित्याग हेतु बाध्य होगा और आप उसके लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. अनुसूची आस्तियों का विशिष्ट विवरण, जिनका कब्जा लिया गया है और जो वहां छोड़ दी गई हैं, यहां नीचे दिया गया है :

बंधक आस्तियां श्रीमती माया देवी पत्नी यूडी देवी पत्नी उदय सिंह मकान नंबर 1068/जे/1 खसरा नंबर 1384 का हिस्सा, स्थित निकट हनुमान मंदिर और एसबीआई शाखा, दयानंद कालोनी, गुरूग्राम, जो आप में तृतीय के साथ संबंधित है, के सभी अंशों एवं खंडों का न्यायिक बंधक, चौहद्दी निम्नानुसार है – उत्तर : मकान नंबर 1068/के/1, दक्षिण : अन्य का खाली प्लॉट, पूरब : अन्य का मकान, पश्चिम : 15"–0" चौड़ी

दिनांक : 01.09.2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

प्रपत्र–3 [विनियम –15(1)(क)]/16(3) देखें
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी–2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)
वाद सं. ओए/3150/2017
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन
Exh. No. 10162

भारतीय स्टेट बैंक बनाम हरि ओम डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं अन्य

सेवा में,
(1) हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं अन्य, मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनरशिप कंसर्न, एफ-83, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-65 इसके पार्टनर्स के माध्यम से और: मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनरशिप कंसर्न, 65, विनोभा पुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली और: मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनरशिप कंसर्न एलए-252, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास, एलआईसी बिल्डिंग के सामने, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा और: मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनरशिप कंसर्न, विद्या मेंशन, सेक्टर 20–बी, विष्णु पैलेस के पास, नीलम फ्लाईओवर के नीचे, एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा
(2) हरनाम दास नागपाल स्व. श्री देवी दयाल नागपाल पार्टनर मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवासी 84, सेक्टर 15–ए, फरीदाबाद हरियाणा
(3) करन नागपाल पुत्र श्री एच.डी. नागपाल पार्टनर मैसर्स हरिओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवासीः 84, सेक्टर 15–ए, फरीदाबाद हरियाणा
(4) मैसर्स इलेक्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय - एफ–84, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली - 65, इसके निदेशक के माध्यम से श्री एच.डी. नागपाल, और: मैसर्स इलेक्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., विद्या मेंशन, सेक्टर 20–बी, विष्णु पैलेस के पास, नीलम फ्लाईओवर के नीचे, एनआईटी, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा

सम्मन

जबकि, ओए/3150/2017 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **20.05.2022** को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. **3,13,10,757/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है।(दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-
(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;
(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;
(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;
(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की विक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक **27/10/2022** को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **20.06.2022** को दिया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

हापुड़ (मेन) शाखा, यू.पी

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल से अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और अनापेक्षित ब्याज लागत और चुकौती की तिथि तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र स्व. श्री अलीजान और श्रीमती रेशमा	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति ईडब्ल्यूएस मकान नं. 154, जोकि आवास विकास कॉलोनी, बुलंदशहर रोड, हापुड़, नगर पालिका हापुड़ के स्थानीय लिमिट के अंतर्गत, वर्तमान म्युनिसीपल नं. W-27/325/1987/154 155 आवास विकास, बुलंदशहर रोड़ हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल पूरब में : 7.40 मी., पश्चिम में – 7.40 मी., उत्तर में – 7.05 मी., दक्षिण में – 7.05 मी., कुल क्षेत्रफल 52.17 वर्ग मी., चौहदी : पूरब में – अन्य से संबंधित मकान नं. 155, पश्चिम में – अन्य से संबंधित मकान नं. 153, उत्तर में – 6.00 मी. चौड़ा रास्ता, दक्षिण में – अन्य से संबंधित मकान नं. 139	25-05-2022 / 31-08-2022	रु. 13,74,976/- और दिनांक 11.10.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि
2	मैसर्स मोहम्मद आरिफ प्रोपराईटर श्री मोह. आरिफ	1. मकान नं. 156, अम्बेडकर नगर, आवास विकास कॉलोनी, बुलंदशहर रोड, हापुड़, नगर पालिका हापुड़ के स्थानीय लिमिट के अंतर्गत, वर्तमान म्युनिसीपल नं. 11-8/1985/156, कोटला मेवातियां, हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल पूरब में : 7.40 मी., पश्चिम में – 5.00 मी., उत्तर में – 5.00 मी., दक्षिण में – 5.00 मी., कुल क्षेत्रफल 37.00 वर्ग मी., चौहदी : पूरब में – मकान नं. 157, पश्चिम में – मकान नं. 155, उत्तर में – 6.00मी. चौडी रास्ता, दक्षिण में – मकान नं. 138 2. मकान नं. 157, अम्बेडकर नगर, आवास विकास कॉलोनी, बुलंदशहर रोड, हापुड़, नगर पालिका हापुड़ के स्थानीय लिमिट के अंतर्गत, वर्तमान म्युनिसीपल नं. 11-8/1984/157, कोटला मेवातियां, हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल पूरब में : 7.40 मी., पश्चिम में – 7.40 मी., उत्तर में – 5.00 मी., दक्षिण में – 5.00 मी., कुल क्षेत्रफल 37.00 वर्ग मी., चौहदी : पूरब में – मकान नं. 158, पश्चिम में – मकान नं. 156, उत्तर में – 6.00मी. चौडी रास्ता, दक्षिण में – मकान नं. 137	25-05-2022 / 31-08-2022	रु. 35,99,882.83 और दिनांक 11.10.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि
3	मैसर्स एसकेएम इंटरप्राइजेज, प्रोप श्री मारुत गर्ग पुत्र श्री सुनील कुमार	पंजीकृत बंधक अचल सम्पत्ति – व्यवसायिक सह रिहायशी भवन (दो मंजिला) म्युनिसीपल नं. 2321/1–37 (ओल्ड), म्युनिसीपल नं. 2321/1–4 (3 दुकानें), म्युनिसीपल पहचान नं. HPU/W-10/2343, मकान नं. 2343, मेन गढ़ रोड़ की ओर, दक्षिणी हिस्सा, मोहल्ला लक्ष्मणपुर, गढ़ रोड, हापुड़ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनील कुमार गर्ग पुत्र स्व. मुरारी लाल गर्ग के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – श्रीमती नर्मदा देवी का मकान अब सुशील कुमार और महेश शर्मा की सम्पत्ति, बहायू सड़क 15', भुजा 25'-6" & 3'-4.5" & 37' पश्चिम में – सम्पत्ति ट्रस्ट सूरज मल महेशवरी, अब फूलवती और तुलसी दास की संपत्ति, भुजा 62'–6' उत्तर में – मिल्कियत अनिल कुमार का शेष भाग, बदाहु रूप रा शर्मा का मकान, भुजा 28'-1,1/2" दक्षिण में – सड़क सरकारी गढ़ रोड, भुजा 31'-6"	25-05-2022 / 31-08-2022	रु. 19,01,175.44 और दिनांक 31.03.2022 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि

दिनांक : 31.08.2022, स्थान : हापुड़ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालय- जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कसारवादावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–400607 (एमएच)

मांग सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा।

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में उनके ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एबीएचएफएल ने उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत उक्त मांग सूचना में बताए गए अनुसार उपरोक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दर पर आगे के ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की की गई है। हालांकि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से भी मांग सूचना दी जा रही हैः

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमानती/सह-जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि
1	1. **हितेंद्र यादव**, डब्ल्यूजेड–2सी, एमसीडी स्कूल के पास, शकरैर विलेज, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली–110034 इसके अलावाः– विला नंबर 32, स्ट्रीट नंबर 05, राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी प्लॉट नंबर एससी–01, सॉर्ट्स सिटी टेकजोन– IV, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 201308, 2. सीमा यादव, डब्ल्यूजेड–2सी, एमसीडी स्कूल के पास, शकरैर विलेज, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली –110034 इसके अलावाः – विला नंबर 32, स्ट्रीट नंबर 05, राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी प्लॉट नंबर एससी–01, स्पोर्ट्स सिटी, टेकजोन–IV, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308, 3. कृष्णा यादव, डब्ल्यूजेड–2सी, एमसीडी स्कूल के पास, शकौर विलेज, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली–110034। इसके अलावाः – विला नंबर 32, स्ट्रीट नंबर 05, राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी प्लॉट नंबर एससी –01, सॉर्ट्स सिटी टेकजोन– IV, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 201308, 4. पीजे एंड कंपनी, ग्राउंड फ्लोर, डब्ल्यूजेड 2 सी, शकरैर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–110034 इसके अलावाः– विला नंबर 32, स्ट्रीट नंबर 05, राइज रिजॉर्ट रेजीडेंसी प्लॉट नंबर एससी–01, सॉर्ट्स सिटी टेकजोन– IV, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308, ऋण खाता संख्या LNDELHL-02180040001 और LNDELHL-02180031673	08.08.2022	25–08–2022	रु. 1,17,69,908.54/– (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ आठ एवं चौवन पैसे मात्र) बकाया मूलधन, एरियर द्वारा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा 20.08.2022 तक ब्याज

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : विला नं. 32, गली नं. 05, टाइप–2वाई, माप क्षेत्रफल 3675 वर्ग फीट, राइज रिसोर्ट्स रेजीडेंसीज, प्लॉट नं. एससी–01 का सम्पूर्ण भाग, स्पोर्ट्स सिटी, टेक जोन–IV, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में स्थित।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमानती/सह-जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि
2	1.कमल किशोर राठौर, 7/99, तुलसी चबूतरा ताजगंज, आगरा–282001 साथ हीः– नेहा ज्वैलरी शू के प्रोपराइटर, उ.प्र. आगरा हैंडलूम सेंटर शू नंबर 18, वेस्टर्न, गेट बटेला, आगरा–282001, साथ हीः– खसरा नं. 91, मौजा केहराई, तहसील और जिला आगरा, मीरा विहार, आगरा में सम्पत्ति, 2. शांति देवी, 7/99, तुलसी चबूतरा ताजगंज, आगरा–282011 इसके अलावाः– खसरा नंबर 91, मौजा केहराई, तहसील और जिला आगरा, मीरा विहार, आगरा में सम्पत्ति, 3. अमर सिंह, 7/99, तुलसी चबूतरा ताजगंज, आगरा–282001 इसके अलावाः– खसरा नंबर 91, मौजा केहराई, तहसील और जिला आगरा, मीरा विहार, आगरा में सम्पत्ति। ऋण खाता संख्या LNAGR0HL-07180010143 और LNAGR0HL-07180010144	08.08.2022	25–08–2022	रु. 4,49,335.82/– (रुपये चार लाख उनचास हजार तीन सौ पैंतीस एवं बयासी पैसे मात्र) बकाया मूलधन, एरियर द्वारा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा 19.08.2022 तक ब्याज

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : प्लॉट भूमि माप 145 वर्ग गज अर्थात 121.23 वर्ग मीटर, खसरा नं. 91 का सम्पूर्ण भाग, मौजा केहराई, तहसील एवं जिला आगरा में स्थित।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमानती/सह-जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि
3	1. कमलेश कुमार मिश्रा, सी–132, ट्रांस यमुना कॉलोनी, राम बाग, आगरा–282006 इसके अलावाः– सेल्स मैनेजर जय लक्ष्मी 13/36, किनारी बाजार, आगरा, उ.प्र.–282002 साथ हीः– खसरा नं. 2072, शांता कुंज, नगला, रामबल मौजा नराइच निकट श्याम सुंदरी, आई.टी.आई., आगरा, उ.प्र.–282006 2. शशि मिश्रा, सी–132, ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग, आगरा–282006 इसके अलावाः– खसरा नंबर 2072, शांता कुंज, नगला, रामबल मौजा नराइच श्याम सुंदरी के पास, आई.टी.आई., आगरा, उ.प्र.–282006 ऋण खाता संख्या LNAGR0HL-08190055666 और LNAGR0HL-08190055667	08.08.2022	25–08–2022	रु. 10,67,923.34/– (रुपये दस लाख सड़सठ हजार नौ सौ तेईस एवं चौंतीस पैसे मात्र) बकाया मूलधन, एरियर द्वारा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा 18.02.2022 तक ब्याज

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज अर्थात 125.41 वर्ग मीटर, खसरा नं. 2072, शान्ता कुंज, नगला रामबल, मौजा नराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा पर मकान का सम्पूर्ण भाग।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमानती/सह-जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि
4	1. दीपक झा, (कानूनी वारिस स्वर्गीय श्री सूरज कुमार) मकान नं. सी–387–बी, गली नं. 27, खजूरी खास दयालपुर, दिल्ली–110094 इसके अलावाः– सेल्स मैनेजर कोटक महिंद्रा कोटे हाउस प्लॉट नंबर 40, दूसरा तल, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 साथ हीः– खसरा नं. 147, सम्पत्ति नं. 401, गांव खजूरी खास, गली नं. 28, ब्लॉक–सी, दिल्ली–110094 2. विभाष झा, (कानूनी वारिस स्वर्गीय श्री सूरज कुमार) मकान नं. सी–387–बी, गली नं. 27, खजूरी खास दयालपुर, दिल्ली–110094 इसके अलावाः– खसरा नं. 147, सम्पत्ति नंबर 401, ग्राम खजूरी खास, गली नंबर 28, ब्लॉक –सी, दिल्ली–110094, 3. बेबी देवी, (कानूनी वारिस स्वर्गीय श्री सूरज कुमार) मकान नं. सी–387–बी, गली नं. 27, खजूरी खास दयालपुर, दिल्ली–110094 इसके अलावाः– खसरा नं. 147, सम्पत्ति नं. 401, गांव खजूरी खास, गली नंबर 28, ब्लॉक–सी, दिल्ली–110094, 4. दीपक झा, मकान नंबर सी–387–बी, स्ट्रीट नं. 27, खजूरी खास दयालपुर, दिल्ली–110094 साथ हीः– सेल्स मैनेजर कोटक महिंद्रा कोटे हाउस प्लॉट नंबर 40, दूसरी मंजिल, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 इसके अलावाः– खसरा नं. 147, सम्पत्ति नंबर 401, ग्राम खजूरी खास, गली नंबर 28, ब्लॉक–सी, दिल्ली– 110094. 5. विभाष झा, मकान नंबर सी–387–बी, स्ट्रीट नं. 27, खजूरी खास दयालपुर, दिल्ली–110094 इसके अलावाः– खसरा नं. 147, सम्पत्ति नंबर 401, गांव खजूरी खास, गली नंबर 28, ब्लॉक–सी, दिल्ली–110094 6. बेबी देवी, मकान नंबर सी–387–बी, गली नं. 27, खजूरी खास दयालौर, दिल्ली–110094 इसके अलावाः– ख नं. 147, प्रोपर्टी नंबर 401, ग्राम खजूरी खास, गली नंबर 28, ब्लॉक–सी, दिल्ली–110094। ऋण खाता संख्या LNDEL0HL-12210110413 और LNDEL0HL-12210110414	01.08.2022	16–08–2022	रु. 36,71,509/– (रुपये छत्तीस लाख इकहत्तर हजार पांच सौ नौ मात्र) बकाया मूलधन, एरियर द्वारा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा 25.08.2022 तक ब्याज

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : बिल्ट अप तिमंजिला मकान सम्पत्ति भूमि क्षेत्रफल माप 52.50 वर्ग गज अर्थात 43.89 वर्ग मीटर, खसरा नं. 147, सम्पत्ति नं. सी–401, साइट के अनुसार उस पर निर्मित समस्त रचना, अन्तिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित सम्पूर्ण भाग, ग्राम खजूरी खास, आबादी सी–ब्लॉक, गली नं. 28, खजूरी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110094 में स्थित।

हम एतद्द्वारा यहां उपरोक्त कर्जदार से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि(यों) के साथ-साथ उस पर आगे के ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, जिसमें विफल होने पर हम लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिम पर प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेने और बेचने के लिए प्रतिभूत प्रवर्तित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से, पूर्वोक्त प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएच एफएल की बकाया राशि, एबीएच एफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत की जाती है, तो प्रतिभूत संपत्ति को एबीएचएफएल द्वारा बेचा या या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा या उस प्रतिभूत संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री नहीं की जाएगी।

दिनांकः 02.09.2022 — ह./– अधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — (आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : सी–55/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052
Ph: 011–42952500, Fax: 011–27377373
ए–ट्रं': info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com
CIN: L65921DL1989PLC035261

33वीं वार्षिक साधारण सभा, कट–ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान, पुस्तक बंद होने, आदि की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (''कथित सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 4.00 बजे अप. में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन विनियमनों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक अधिकृत एजेन्सी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है तथा यह कम्पनी रिमोर्ट ई–वोटिंग के साथ ही साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से 33वीं वार्षिक साधारण सभा में रखी गई व्यवसाय के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडी रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। ऐसे सदस्यों जिन्होनें कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे 33वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा 33वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों सहित ई–वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी info@sfcilindia.com अथवा rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज भेजने का कार्य 5 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है।

33वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 उन सभी सदस्यों को मेल की जा रही है, जिनके नाम शुक्रवार, 26 अगस्त, 2021 को कारोबार की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं। कंपनी की 33 वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ-साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका कंपनी की वेबसाइट www.sfclindia.com पर भी उपलब्ध है और इसे वहां से एक्सेस या डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्य कंपनी के ई–मेल आईडी info@sfclindia.com पर किसी अन्य संचार या शिकायत के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं या कंपनी को इसके पंजीकृत पते पर लिख सकते हैं। 33वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.sfclindia.com और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि 26 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा 28 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी जिसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

वीसी/ओएवीएम द्वारा 33वीं एजीएम में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे 33वीं एजीएम के दौरान रिमोट–ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा 33वीं एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिये हों, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 33वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन, ऐसे सदस्य फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 33वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 33वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 33वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई–वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने का तरीका 33वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

33वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.sfclindia.com और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार श्री विनीत गोयल (डीआईएनः 06852762) को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में 12 अगस्त, 2022 से नियुक्त किया गया। आगामी एजीएम में निदेशक के पद के लिए अधिनियम की धारा 160 के तहत उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करने वाले एक सदस्य से लिखित सूचना तथा रु. 1,00,000/– प्राप्त किये गये।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ईमेल द्वारा दस्तावेजों की प्रति स्कैन करके info@,sfclindia.com या rta@alankit.com पर भेजकर 33वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और/या 33वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लागिन विवरण, ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।
(क) अपने नाम, फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र।
(ख) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन्ड प्रति, तथा
(ग) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें।

सदस्यों के मतदान का अधिकार 22 सितम्बर, 2022 की कट–ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2022 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं.: 1800–222–990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। सदस्यगण info@sfclindia.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदान के संचालन के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री हरविन्दर सिंह, हरविन्दर सिंह एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज के प्रॉप्राइटर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मतदान के परिणामों की घोषणा सभा की पूर्णता के अधिकतम 48 घंटे में किया जायेगी तथा उसकी सूचना स्टॉक एक्सचैंज को दी जायेगी तथा कम्पनी की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
स्थानः दिल्ली — दीप्ति जैन
तिथिः 1 सितम्बर, 2022 — कम्पनी सचिव

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होने वाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
9214957	श्री राहुल मोहता (ऋणकर्ता) के रूप में और श्रीमती मेघना मोहता (सह–ऋणकर्ता) के रूप में	16.08.2022 के अनुसार, रु. 1,24,87,517/– (रुपए एक करोड़ चौबीस लाख सत्तासी हजार पांच सौ सत्रह मात्र)	16/08/2022 / 01/05/2018

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति यूनिट नं. टी–4–301 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो तृतीय तल, टॉवर–04, अधिमापन 1942 वर्ग फुट अर्थात् 180.41 वर्ग मीटर लगभग, पार्श्वनाथ पैरामाउंट, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के समीप, सुभाष नगर, नई दिल्ली–110032 में स्थित हैं।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
10642516 & 10675303	श्री संजीव कुमार (ऋणकर्ता) के रूप में और श्रीमती मंजू (सह–ऋणकर्ता) के रूप में	17.08.2022 के अनुसार, रु. 26,05,049/– (रुपए छब्बीस लाख पांच हजार उनचास मात्र) की एक राशि ऋण खाता सं. 10642516 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं भुग्तेय है तथा रु. 14,72,955/– (रुपए चौदह लाख बहत्तर हजार नौ सौ पचपन मात्र) की एक राशि ऋण खाता सं. 10675303 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं भुग्तेय है, इस प्रकार आपके द्वारा कुल रु. 40,78,004/– (रुपए चालीस लाख अट्ठहत्तर हजार चार मात्र) की एक राशि देय एवं भुग्तेय है	17/8/2022 / 4/7/2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः ''दो मंजिला आवासीय मकान के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 105.39 वर्ग मीटर है, जो गाता सं. 659 में समाविष्ट और मौजा शाहपुर तिगरी, बसंत विहार के रूप में अभिज्ञात स्थान, वार्ड सं. 01, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं, जो विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त सामान्य सुख–सुविधाओं के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैंः पूर्व– चंदर भान सिंह का मकान, पश्चिम– भूखंड सं. 29, उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण– सड़क 18' चौड़ी

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
TCHHL07010001000079525 & TCHIN07010001000082275	श्री आशुतोष पाल (ऋणकर्ता) के रूप में और श्रीमती विमला देवी अर्थात् बिमला देवी (सह–ऋणकर्ता) के रूप में	17.08.2022 के अनुसार, रु.7,84,846/– (रुपए सात लाख चौरासी हजार आठ सौ छियालिस मात्र) की एक राशि ऋण अनुबंध सं. टीसीएचएचएल0701000100079525 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं भुग्तेय है तथा रु. 33,760/– (रुपए तैंतीस हजार सात सौ साठ मात्र) की एक राशि ऋण अनुबंध सं. टीसीएचआईएन0701000100082275 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं भुग्तेय है, इस प्रकार आपके द्वारा कुल रु. 8,18,606/– (रुपए आठ लाख अट्ठारह हजार छह सौ छह मात्र) की एक राशि देय एवं भुग्तेय है	17/8/2022 / 4/7/2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः आवासीय मकान के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 55–1/2 वर्ग गज अर्थात् 46.41 वर्ग मीटर है जो मोहल्ला माधोबाड़ी, तहसील एवं जनपद बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ हैं।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
10245698	श्री अखिलेश कुमार (ऋणकर्ता) के रूप में और श्रीमती अर्चना चौधरी (सह–ऋणकर्ता) के रूप में	22.08.2022 के अनुसार, रु. 3,30,822/– (रुपए तीन लाख तीस हजार आठ सौ बाईस मात्र)	22/8/2022 / 7/6/2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः ''आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 3 मारला– 4 सरसाही अर्थात् 108 वर्ग गज है, जो खसरा सं. 1059/2 (2–0), खेवट सं. 578, खतौनी सं. 637 के 7/80वें अंश के रूप में, जमाबंदी 2014–15 एवं हदबस्त सं. 58 के अनुसार हैं, और ग्राम मौजा पट्टी मेहर, मानव विहार कॉलोनी के रूप में अभिज्ञात स्थान, अंबाला सिटी, अंबाला (हरियाणा) में स्थित हैं और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैंः पूर्व– अन्य स्वामियों की भूमि (साइड 33'–9'), पश्चिम– अन्य स्वामियों की भूमि (साइड 33'), उत्तर– अन्य स्वामियों की भूमि (साइड 27'), दक्षिण– सड़क 18' चौड़ी (साइड 18'–09')''।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
9856417	श्री मोनू यादव (ऋणकर्ता) के रूप में और श्रीमती नीशू यादव (सह–ऋणकर्ता) के रूप में	22.08.2022 के अनुसार, रु. 14,50,011/– (रुपए चौदह लाख पचास हजार ग्यारह मात्र)	22/8/2022 / 8/7/2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः ''निर्मित दो मंजिला आवासीय संपत्ति मकान सं. 19 (आकार 12.6' x 40') के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 56 वर्ग गज – गिल कॉलोनी (0 बीघा – 1 बिस्वा – 2–1/2 बिसवासी अर्थात् 22–1/2/9600 अंश के रूप में है, जो 24 बीघा – 0 बिस्वा के क्षेत्र में से है), जो खाता सं. 354/679, खसरा सं. 800 (4–0), 801 (4–0), 802 (4–0), 803 (4–0), 818 (4–0), 819 (4–0), कित्ते 6 में समाविष्ट हैं, और ग्राम माधोपुर, गिल कॉलोनी के रूप में अभिज्ञात स्थान, हदबस्त सं. 11, एम.सी. डेराबस्सी के अंदर, तहसील डेराबस्सी, जनपद एस.ए.एस. नगर, पंजाब में स्थित हैं और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैंः उत्तर– सोबन सिंह, दक्षिण– रेखा देवी, पूर्व– सड़क 35' चौड़ी, पश्चिम– अन्य स्वामी''।

*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

दिनांकः 02.09.2022 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली — कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ किया धोखा: आप

पत्रकार वार्ता के दौरान आप की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसौदिया।

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, । आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं युवा विंग प्रभारी उमा सिसोदिया ने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा की उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है उन्होंने कहा जिस प्रकार यूकेएसएसएससी मामले में भाजपा के नेता बेनकाब हो रहे हैं और जांच के नाम पर बडे.नेताओं को इस प्रकरण में बचाया जा रहा है वही विधानसभा एवं पशुपालन विभाग में भाजपा के नेताओं एवं मंत्रियों ने अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए बैक डोर से एंट्री करा कर उत्तराखंड के युवाओं का हक छीना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही यूकेएसएसएससी मामले को लेकर आंदोलनरत है एवं प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में बेनकाब किया है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री पुष्कर धामी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं एवं अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं साथ ही चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों से यह वादा किया था कि वह 40,000 नौकरियां युवाओं को देंगे परंतु नौकरी देना तो दूर धामी सरकार ने युवाओं के हक पर ही डाका डाला है उन्होंने कहा इस पूरे प्रकरण में मीडिया का सहयोग एवं कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अब धामी सरकार की मंत्री रेखा आर्य की चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पर पशुपालन विभाग में अपने करीबियों को नियुक्ति दिला दी उन्होंने कहा धामी सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ यह कैसा मजाक कर रही है जहां एक ओर युवा दर-दर की ठोकरें खाने के बाद भी नौकरी नहीं ले पाता वही धामी सरकार के मंत्री और नेता एक चिट्ठी से अपने करीबियों को बैक डोर से एंट्री कराते हैं यह उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको युवा भूलने वाले नहीं है । अंत में उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

सीएम धामी ने किया रानीबाग डबल लेन पुल का किया उद्घाटन

हल्द्वानी, वीर अर्जुन संवाददाता। हल्द्वानी में एचएमटी के पास गौला नदी पर नवनिर्मित डबल लेन पुल का गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काट शुभारंभ कर दिया। 7.14 करोड. की लागत से बने इसे पुल को 22 माह में तैयार किया गया है। लोनिवि भवाली डिवीजन ने हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी से इसका निर्माण करवाया है। पुल के बनने से हल्द्वानी समेत पूरे पहाड. के लोगों को फायदा होगा। खासकर पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री मंत्री अजय भट्ट, जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, विधायक सरिता आर्य, राम सिंह कैडा समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं, ईई मदन पुंडीर ने बताया कि पुराने सिंगल लेन पुल को भी अभी बंद नहीं किया जाएगा।

दिनदहाड़े मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, पूरे इलाके में सनसनी

वीर अर्जुन संवाददाता

काशीपुर,। काशीपुर मोहल्ला अलीखां निवासी मां और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिनदहाडे.हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपनो जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की पडत़ाल शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार ननिया उम्र करीब 45 वर्ष पत्नी रईस अपनी बेटी शिबा उम्र करीब 22 वर्ष के साथ काशीपुर के अलीखां की निवासी थी। ननिया का पति और उसका बेटा विदेश में काम करते हैं। गुरुवार को करीब पौने 11 बजे अलीखां मोहल्ले का निवासी सलमान धारदार हथियार लेकर ननिया के घर के पास पहुंचा। जहां उसने पहले सडक़ पर ही शिबा की गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद खून से सना हथियार लेकर घर में जा घुसा और ननिया का भी गला रेत दिया।दिन दहाडे. दो हत्याओं को अंजाम देने के बाद सलमान खून से सना हथियार लेकर बांसफोडान चौकी पहुंच गया। जहां उसने मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि मैंने मां और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी है। इतना सुनते ही चौकी पर हडक़ंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने आनन-फानन में उसे हिरासत में लिया। उसके बाद अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।बताया जा रहा है कि सलमान और शिबा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों में अनबन थी। सलमान का कहना है कि शिबा ने उसको धोखा दिया है। गुरुवार को उसके सिर पर जैसे खून सवार हो गया हो। उसने पहले घर के बाहर सडक़ पर ही शिबा को मौत के घाट उतारा उसके बाद घरे में घुसकर उसकी मां को भी मार डाला। एसपी चन्द्रमोहन सिंह ने बताया कि सलमान ने मां और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने की बात कबूल की है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसका कहना है कि प्रेस प्रसंग में धोखा के कारण उसने वारदात को अंजाम दिया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहनता के साथ पडत़ाल की जा रही है।

मंत्री महाराज ने चालदा महासू को चढ़ाई चोल्टी

चालदा महासू को चोल्टी (चादर) चढाते हुए मंत्री सतपाल महाराज।

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून,। जौनसार-बावर के हनोल स्थित श्री महासू देवता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूजा-अर्चना के साथ दो दिवसीय परंपरागत जागडा (हरियाली पर्व) महोत्सव में प्रतिभाग करने के साथ-साथ प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने समाल्टा स्थित छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के साथ-साथ उन्हें चोल्टी (चादर) चढाकर पूजा अर्चना की। जागडा को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने वाले प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी पुत्रवधु आराध्या के साथ समाल्टा पहुँच कर छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के साथ-साथ उन्हें चोल्टी (चादर) चढाकर पूजा अर्चना की। सतपाल महाराज ने बताया कि पूर्व में जब वह अपनी पत्नी अमृता रावत के साथ चालदा महासू के दर्शन को आये थे तो उन्हें चालदा महासू महाराज का आदेश हुआ कि वह उनको अपनी ओर से चोल्टी (चादर) चढायें। छत्रधारी महाराज के आदेश का पालन करते हुए हुए उन्होने अपनी पुत्रवधु आराध्या के साथ समाल्टा पहुँच कर सूरत के सुरेश द्वारा बेहतरीन कारीगरी से बनाई गई चोल्टी (चादर) चालदा महासू देवता को चढाई। चोल्टी को धारण कर चालदा महासू महाराज की अद्भुत छवि की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी वहाँ उपस्थित रहे।

श्री महाराज ने बताया कि छत्रधारी चालदा महासू महाराज अपने सिंहासन से बाहर आकर दशहरे तक इसी चोल्टी (चादर) के साथ श्रृद्धालुओं को दर्शन देगें। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दौरान उनके अद्भुत दर्शन करता है चालदा महासू महाराज उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। जौनसार-बावर के हनोल स्थित श्री महासू देवता जागडा (हरियाली पर्व) को राजकीय मेले का दर्जा मिलने पर क्षेत्र के लोगों में अपार उत्साह और प्रसन्नता है।

कांग्रेसियों ने सीएम धामी को दिखाए काले झंडे व गुब्बारे, पुलिस ने हिरासत में लिया

वीर अर्जुन संवाददाता

हल्द्वानी, । सीएम धामी के हल्द्वानी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला तिकोनिया चौराहे से गुजरा, कांग्रेसियों ने काले झंडा दिखाने का प्रयास किया। जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के रानीबाग में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करने पहुंचे हैं।

संक्षिप्त समाचार

नवनियुक्त महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कार्यभार ग्रहण किया

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। नवनियुक्त महानिदेशक, सूचना बंशीधर तिवारी ने गुरूवार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभता से मिले इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाये। सूचना महानिदेशक ने कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को मीडिया से बेहतर समन्वय कर जनमानस तक पहुंचाया जाये।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट नं 203 एवं 204, दूसरा तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (वेस्ट) मुम्बई 400015, महाराष्ट्र, CIN No. U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2021 जारी की जिसमें कर्जदार **श्री/श्रीमती मनोज कुमार (आवेदक), श्री/श्रीमती बबीता तोमर (सह–आवेदक) को मांग सूचना में उल्लिखित राशि खाता नम्बर एलपी0000000026404 में 31 मार्च 2021 को रु. 3385762/– (तैंतीस लाख पिचासी हजार सात सौ बासठ रुपए)** का कथित सूचना प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया।
संबंधित कर्जदार कथित सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहें, इसलिए कर्जदार, गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **29 अगस्त, 2022** को नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।
विशेषकर कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि कथित सम्पत्ति का लेनदेन न करें और कथित सम्पत्ति का लेनदेन **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (देहरादून शाखा) को रु. 3385762/– (तैंतीस लाख पिचासी हजार सात सौ बासठ रुपए)** और उस पर आगे ब्याज एवं लागत का पुनर्भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति सं. 24/277 नया नं. 38/2 चुखुवाला ब्लॉक दूसरा जिला देहरादून उत्तराखंड–248001

तिथि : 02.09.2022
स्थान : देहरादून

प्राधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

नशे में धुत कृषि विभाग के तीन कर्मचारियों को ट्रक चालक को रौब दिखाना पडा़ भारी, हुई जमकर धुनाई

वीर अर्जुन संवाददाता

हरिद्वार, । नशे में धुत होकर ट्रक चालक पर चेकिंग करने के नाम पर रौब दिखाना कृषि विभाग के तीन कर्मचारियों को भारी पड.गया। तीनों कर्मचारियों की मौके पर ही जमकर धुनाई करने के बाद उन्हे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की है।मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि कृषि कार्यालय बंगला के पास कार सवार 3 लोगों को ट्रक चालक और स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा है। तीनों लोग फर्जी अधिकारी बन ट्रक में लाए जा रहे माल को लूट रहे थे। पुलिस को बताया गया कि तीनों खुद को पंचायत चुनाव में लगे अधिकारी बता रहे थे और शराब के नशे में धुत हैं। सूचना पर बहादराबाद थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सरेराह पीट रहे तीनों लोगों को भीड. के चंगुल से छुडाया। पूछताछ करने पर पता चला कि तीनों वास्तव में कृषि विभाग के कर्मचारी हैं। भीड. ने जिन लोगों की धुनाई की उसमें कृषि अधिकारी संदीप तोमर, सहायक विनीश और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी त्रिलोकचंद शामिल थे। लोगों के बवाल के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर शांति भंग में चालान कर दिया गया।

एक साथी कर्मचारी की रिटायरमेंट पार्टी से देर रात वापस लौट रहे कृषि अधिकारी सहित तीनों कर्मचारी नशे में धुत थे। लंढौरा से वापस लौटते समय जब उन्होंने बहादराबाद स्थित टोल बैरियर पार किया, तो एक ट्रक को साइड देने को लेकर इनमें कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद कार सवार तीनों लोगों ने ट्रक को कृषि कार्यालय के पास रोक लिया और ट्रक से उतार ट्रक चालक की जमकर धुनाई कर दी। जिस ट्रक को कृषि विभाग के इन अधिकारी ने शराब के नशे में रोका, उस ट्रक में लाखों रुपए कीमत का सामान था। यह सामान दिल्ली एयरपोर्ट से यूनाइटेड किंगडम जाना था। गुरुवार दोपहर की फ्लाइट थी, जिस कारण इस माल को सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट पर एंट्री करानी थी। लेकिन अब यह माल विदेश नहीं जा पाएगा।

भारतीय रेल

"सार्वजनिक अधिसूचना"

रेलवे लाइनों और परिसरो के सभी उपभोक्ताओं को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर 25000 वोल्ट 50 हर्ट्ज ए.सी. शिरोपरि कर्षण तारों को खण्ड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या बाद में उर्जित किया जायेगा। उस तारीख से शिरो परिकर्षण लाईन को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई अनधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरि लाईन के सामीप्यता में दाखिला होने या काम करने नहीं जाएगा।

सेक्शन	टीकेएम (दिनांक)
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के गजरौला स्थित जुबिलेंट साइडिंग लाइन, स्थान GJL 1168(Ch.280.36) से GJL 1119 (Ch.394.30) तक, जिसमें संबंधित टर्न आउट और X-ओवर और मौजूदा लाइनों में संशोधन शामिल हैं।	2.35 (10.09.2022)

एसी 25 के.वी. कर्षण का परिचय

"सड़क उपयोग कर्ताओं को चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि 25 KV AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर शुरू करने के संबंध में "उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के गजरौला स्थित जुबिलेंट साइडिंग लाइन, स्थान GJL 1168 (Ch. 280.36) से GJL 1119 (Ch. 394.30) तक, जिसमें संबंधित टर्न आउट और X-ओवर और मौजूदा लाइनों में संशोधन शामिल है" हाइट गेज सभी लेवल क्रासिंग पर लगाये है, जो सड़क की ऊंचाई से 4.78 मीटर की अधिकतम ऊँचाई पर स्पष्ट ऊंचाई के साथ है, अत्यधिक ऊंचाई के भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रैक्शन वायर से खतरनाक निकटता को रोकने के उदेश्य से।

सार्वजनिक रूप से वाहनों को लोड करने के उद्देश्य के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊँचाई का निरीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है और यह देखने के लिए कि सड़क वाहनों में किए गए भार किसी भी परिस्थिति में ऊँचाई गेज का उल्लंघन नहीं करते हैं।

अत्यधिक ऊँचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं:–
i) ऊँचाई गेज के लिए खतरा और परिणाम स्वरूप सड़क के साथ–साथ रेलवे लाइन में बाधा।
ii) सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
iii) सुचालक के साथ संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का जोखिम।

उप मुख्य विद्युत अभियंता/निर्माण
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद

No. 17-Elect/C/MB/130-R Dt.: 31.08.2022 2257/2022

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

भारतीय रेल

"सार्वजनिक अधिसूचना"

रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपभोक्ताओं को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर 25000 वोल्ट, 50 हटर्ज, ए.सी. शिरोपरि कर्षण तारों को खण्ड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या बाद में ऊर्जित किया जाएगा। उस तारीख से शिरोपरि कर्षण लाईन को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई अनधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरि लाईन की सामीप्यता में दाखिल होने या काम करने नहीं जाएगा।

सेक्शन	टीकेएम (दिनांक)
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के गाजियाबाद–मुरादाबाद खंड स्थित कि.मी. संख्या 43/460.00 पर मध्य गंगा नहर क्रॉसिंग निर्माण हेतु अप मैन लाइन (स्थायी मोड) स्थान 42/35 (Ch. 840.50) से स्थान 44/5 (Ch. 146.00) और डाउन मैन लाइन स्थान 42/34 (Ch. 840.50) से स्थान 44/6 (Ch. 146.00) तक संबंधित टर्न आउट, X–ओवर और मौजूदा लाइनों में संशोधन शामिल हैं।	2.182 (15.09.2022)

उप मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण,
उ.रे., मुरादाबाद

भारतीय रेल

एसी 25 केवी कर्षण का परिचय

"सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि 25KV AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर शुरू करने के संबंध में "उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के गाजियाबाद–मुरादाबाद खंड स्थित कि.मी. संख्या 43/460.00 पर मध्य गंगा नहर क्रॉसिंग निर्माण हेतु अप मैन लाइन (स्थायी मोड) स्थान 42/35 (Ch. 840.50) से स्थान 44/5 (Ch. 146.00) और डाउन मैन लाइन स्थान 42/34 (Ch. 840.50) से स्थान 44/6 (Ch. 146.00) तक संबंधित टर्न आउट, X–ओवर और मौजूदा लाइनों में संशोधन शामिल है" हाइट गेज सभी लेवल क्रासिंग पर लगाये है, जो सड़क की ऊंचाई से 4.78 मीटर की अधिकतम ऊँचाई पर स्पष्ट ऊंचाई के साथ है, अत्यधिक ऊंचाई के भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रैक्शन वायर से खतरनाक निकटता को रोकने के उद्देश्य से।

सार्वजनिक रूप से वाहनों को लोड करने के उद्देश्य के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊँचाई का निरीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है और यह देखने के लिए कि सड़क वाहनों में किए गए भार किसी भी परिस्थिति में ऊँचाई गेज का उल्लंघन नही करते हैं।

अत्यधिक ऊंचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं :–
I) ऊंचाई गेज के लिए खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ–साथ रेलवे लाइन में बांधा।
ii) सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
iii) सुचालक के साथ संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का जोखिम।

उप मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण,
उ.रे., मुरादाबाद

2258/22

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

हेलंग घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे तमाम संगठन

वीर अर्जुन संवाददाता

नैनीताल,। चमोली जिले के हेलंग गांव में पुलिस और औद्योगिक इकाई के सुरक्षाबलों ने ग्रामीण महिलाओं की घास छीन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। घटना के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। नैनीताल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आधा दर्जन से अधिक संगठनों के सैकडों लोगों ने सडक़ पर उतर कर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने माल रोड पर रैली निकालकर जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने की मांग रखी। जनसभा कर सरकार पर जमकर वार किए। जिसके बाद लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्रीय मांग को लेकर आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौपा।गुरुवार को हेलंग एकजुटता मंच के बैनर तले प्रदेशभर से पहुंचे विभिन्न संगठनों के सैकडों लोग मल्लीताल पंत पार्क में एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर और माइक लेकर लोगों ने माल रोड होते हुए तल्लीताल तक विशाल जुलूस निकाला। इस बीच लोगों ने नारेबाजी, गीत संगीत के माध्यम से अपने हक की मांग की।तल्लीताल डांठ में सभा आयोजित कर लोगों ने कहा कि हेलंग में हुई घटना से सिर्फ उत्तराखंड के मूलवासियों से उनके हक ही नहीं छीने गए, बल्कि औद्योगिक इकाई के दबाव में काम करते हुए महिलाओं पर कार्रवाई भी की गई, जो कि बेहद ही निंदनीय है।

एडीएम ने ली सड़क सुरक्षा

वीर अर्जुन संवाददाता

रुद्रपुर,। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह की अध्यक्षता में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में गुरूवार को सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने जनपद में यातायात को सरल, सुगम व सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश परिवहन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि छोटी सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, ड्राईविंग के दौरान छोटी-से छोटी लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के भी खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है,उनके विरुद्ध तुरंत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कराने के निर्देश सदस्य सचिव जिला सडक़ सुरक्षा समिति एवम एससी लोनिवि को दिए। उन्होंने रेड लाइट जंपिंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करने, ओवर स्पीडिंग, भार वाहनों में ओवर लोडिंग, भार वाहनों में यात्री वाहन करने, नशे की हालत में वाहन संचालन, ड्राइविंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए। साईड्स के अतिक्रमणकारियों की सूची बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से सडक़ो को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश सम्बधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही चीनी मिल प्रबंधकों से पत्राचार करने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों के पीछे इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर लगवाए जाए ताकि कोहरे में भी वाहन संचालन में दिक्कत न हो।

बिक्री सूचना

रेयान लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालयः 30/31, बेसमेंट, ओल्ड राजेन्दर नगर, नई दिल्ली–110060
फैक्टरी पताः खसरा नं. 390, गांव मल्लाबपुर, रूड़की, उत्तराखंड
(CIN: U24234DL2006PTC211385)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार कम्पनी के परिसमापन के लिए आदेशित माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति परिसमापक द्वारा ऑफर की गई चालूगत रूप में रेयान लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") (परिसमापनाधीन) की बिक्री के संबंध में यह सूचना दी जाती है।
निम्नलिखित संपत्तियों के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के विनियम 32(सी) के अनुसार बिक्री में कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियां एवं संपत्तियां शामिल हैं। बोली प्रक्रिया वेब पोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर ई–ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	नीलामी की तिथि एवं समयः	तिथिः 16 सितम्बर, 2022, समयः प्रातः 11.30 बजे से दोप. 2.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
2	आईबीबीआई के साथ पंजीकृत अनुसार परिसमापक का पता एवं ई–मेल पता	103, प्रथम तल, 7255, अजिन्द्रा मार्केट, शक्ति नगर, दिल्ली–110007 ई–मेल. susheelgupta@hotmail.com
3	पत्राचार के लिए प्रक्रिया विनिर्देशित पता	103, प्रथम तल, 7255, अजिन्द्रा मार्केट, शक्ति नगर, दिल्ली–110007

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ('कोड') के प्रावधानों के अंतर्गत चालूगत आधार पर कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री के लिए ई–नीलामी प्रारंभ की जाएगी।

विवरण	आरक्षित मूल्य	प्रारंभिक ईएमडी राशि	बढ़ोत्तरी राशि
चालूगत आधार के रूप में कॉर्पोरेट देनदार	रु. 3,05,00,000/–	रु. 20,00,000/–	रु. 2,00,000/–

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:
1. बिक्री "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है", "जो भी वहां है" और "बिना रिकॉर्स आधार" पर की जाएगी और ऐसे में बिक्री बिना किसी वारंटीज एवं इंडेम्नटीज के होगी।
2. रु. 10 लाख (अनुमानित) अतिरिक्त राशि पूर्व–परिसमापन अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लि. को देय है।
3. ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जो की वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं, में विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश दिये गये हैं।
4. इच्छुक बोलीदाता अनिवार्य रूप से ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित अनुसार नियम व शर्तों को पढ़ने के बाद बोली में भाग ले सकेंगे और तद्नुसार वे इस संबंध में ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी रूचि की अभिव्यक्ति जमा कर सकते हैं।
5. परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताएं नीलामी के किसी भी चरण में एवं प्रक्रिया में सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित/आगे बढ़ाने/निरस्त करने तथा किसी भी परिसंपत्ति को हटाने का अधिकार रखते हैं।
6. कोड की धारा 35 की उपवाक्य (एफ) के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक बोलीदाता कोड (समय–समय में संशोधित अनुसार) कोड की धारा 29ए में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने में असफल रहने पर वे बोली में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगें

तिथि एवं स्थानः 31 अगस्त, 2022, दिल्ली

हस्ता./–
सुशील कुमार गुप्ता
आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी–पी00846/2017–18/11419
रेयान लेबोरेटरीज प्रा. लि. (परिसमापनाधीन) के परिसमापक

वीर अर्जुन

देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।
मो.7895189235

वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-

देहरादून:- **वसीम अहमद**
मो.-9758325677

रुड़की:- **चन्दर न्यूज एजेंसी**
प्रो.- श्री चन्द्रभान,
दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की
मो.- 9927069871

हरिद्वार:- **आत्रे न्यूज एजेंसी**
प्रो.- श्री अनिल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार
मो.- 9837177797

ऋषिकेश:- **आजाद न्यूज एजेंसी**
प्रो.- श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश
मो.- 9837229222

SALE NOTICE

RAYAN LABORATORIES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Registered Office of the Company: 30/31, Basement, Old Rajender Nagar, New Delhi – 110 060
Factory Address: Khasra No. 390, Village Matlabpur, Roorkee, Uttarakhand
(CIN - U24234DL2006PTC211385)

Notice is hereby given to the public in general in connection with sale of Rayan Laboratories Private Limited as a going concern (in liquidation) ("Corporate Debtor"), offered by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench, in its order dated September 14, 2021 ordered for Liquidation of the Company as per the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

The assets and properties of Corporate Debtor consists, sale as per Regulation 32© of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 of following assets. The bidding shall take place through e-auction platform at the web portal https://ncltauction.auctiontiger.net

S.No.	Particulars	Details
1	Date and Time of Auction	**Date:** September 16, 2022 **Time:** 11:30 a.m. to 2:00 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes)
2	Address and e-mail of the Liquidator, as registered with IBBI	103, First Floor, 7255, Ajindra Market, Shakti Nagar, Delhi-110 007. susheelgupta@hotmail.com
3	Process specific address for correspondence	103, First Floor, 7255, Ajindra Market, Shakti Nagar, Delhi-110 007

The e-auction will be first initiated for sale of the Corporate Debtor as a going concern under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

Particulars	Reserve Price	Initial EMD Amount	Incremental Value
The corporate debtor as a going concern	₹ 3,05,00,000/-	₹ 20,00,000/-	₹ 2,00,000/-

Important Notes:

1. The sale shall be on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IT IS", "WHATEVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" and as such, the sale shall be without any kind of warranties and indemnities.
2. An additional amount of ₹10 Lakh (approximately) is payable to the Uttarakhand Power Corporation Ltd. For the pre-liquidation period.
3. The details of the process and timelines are outlined in the E-Auction Process Document, which is available on the website https://ncltauction.auctiontiger.net
4. Interested bidders shall participate after mandatorily reading and agreeing to the relevant terms and conditions including as prescribed in E-Auction Process Documents and accordingly, submit their expression of interest in the manner prescribed in E-Auction Process Document.
5. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) adjourn/postpone/cancel the e- Auction or withdraw any assets thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
6. As per proviso to clause (f) of section 35 of the Code, the interested bidder shall not be eligible to submit a bid if it fails to meet the eligibility criteria as set out in section 29A of the Code (as amended from time to time).

Date and Place: August 31, 2022, Delhi

Sd/-
Susheel Kumar Gupta
IBBI/IPA-001/IP-P00846/2017-18/11419
Liquidator of Rayan Laboratories Pvt. Ltd. (in liquidation)

इंडियन बैंक — Indian Bank — ALLAHABAD

Zonal office Indian Bank
G 41, Cannaught Place,
Delhi - 110001

Public Notice

Notice under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 - As regards taking possession of movables hypothecated and not hypothecated to the Bank – (ABANDONMENT of items not hypothecated to the Bank).

To **1. M/s Hend Enterprises**, Basement 3553/S, Sheetla Mata Road, Gurgaon, **2. Mr. Sanjay Rana S/O Mr. Uday Singh**, R/O House no. 1068/J/1 Dayanand Colony, Gurgaon (Proprietor), **3. Mrs. Maya Devi W/O Mr. Uday Singh**, R/O House no. 1068/J/1 Dayanand Colony Gurgaon (Guarantor)

Sub: Loan account/s 6615751843 with Indian Bank IMT Manesar Branch Reg

Mr. Sanjay Rana availed certain facilities from us. The repayment of the said loans are secured by mortgage of certain property(ies). **M/s Hend Enterprises (Prop. Mr. Sanjay Rana)** failed to pay the outstanding to the bank and therefore was called upon to pay the amount due vide notice dated **04-11-2019** issued under Sec.13(2) of the Act. It was made clear that if payment is not made within 60 days, Bank will be constrained to exercise its rights by taking possession of the securities.

As Mr. Sanjay Rana failed to make payment Bank took possession of the property more fully described in the schedule hereunder on 05-08-2022.

While taking possession, Bank has taken inventory of movables/goods/items, which were found inside the schedule-mentioned property.

**An inventory and Panchnama has been drawn for those movables/goods/items hypothecated to the Bank and found inside the schedule mentioned property as per the format prescribed in the Rules framed under the Act.

Bank has taken an inventory of items found inside the schedule-mentioned property, not hypothecated to the Bank. the details of items are :

Top Floor: (1) One Room alongwith washroom. * One Takhat & Two old Trunks (dd), Second Floor: (1) Three Rooms alongwith two kitchen & Two Washroom, First Floor: (1) Three Rooms alongwith one kitchen & One Washroom, Ground Floor: (1) One Kitchen, *Two LPG Cylenders (old) with Gas Stove, (2) First Room: *One Bed (Old), *Three Seeter Sofa From Single Seeter Sofa (Old), *One Wooden Table (Old), *One LCD T.V. (OLD), *One Fan, *One Spilt A.c (Hitachi) Old, Second Room one Ground Floor, (1) One Fan, (2) one Table (Wooden old), (2) Wooden Drawing Table (old), (3) Two Folding Bed (old), (4) One Window A/c (Korio) old., (5) One Old Almira Locked in the front of 3rd room gate, *One Splender bike (HR-26AX2543) OLD MOBILE, available with the AO. You are hereby called upon to make arrangements to remove the said items not hypothecated/charged to the Bank within two days' time.

It is hereby made clear that Bank shall not be responsible for any loss/pilferage of such items. It is also made clear that Bank shall not take any insurance coverage for these items, as they are not charged/ hypothecated to the Bank.

You are at liberty to take possession of those movables at your cost and expenses at a time to be fixed in advance with the Authorised Officer. If you do not remove those movables immediately and / or within two days, Bank will be constrained to abandon the items without any further reference to you in this regard.

Bank will not be responsible for any insurance and / or deterioration in value of the securities. The items are kept in a separate place only in adherence to principles of natural justice, though there is no legal obligation cost on the Bank.

Take final notice to take delivery of goods within two days of this notice, failing which Bank will be constrained to abandon all the items, for which you and you alone will be held responsible.

6. SCHEDULE The specific details of the assets which has been taken possession of and which has been let out on tenancy to be given hereunder:

Mortgaged assets Equitable Mortgage of all part & parcel of property of Smt. Maya Devi W/O Ud Devi W/O Uday Singh House No. 1068/J/1 Part of Khasra no. 1384, Situated at near hanuman Mandir and SBI Branch

Situated at near Hanuman Mandir and SBI Branch, Dayanand Colony, Gurgaon be Colony, Gurgaon belonging to the third of you as given in schedule Hereunder with boundaries North - House no. 1068/K/1, South - Vacant plot of others, East - House of others, West - 15"-O" wide

Date: 01-09-2022, Place: Delhi — Authorized Officer, Indian Bank

---

RATHI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : A-24/6, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road New Delhi - 110044
CIN:- L74899DL1991PLC046570

Notice of 30th AGM

Notice is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of Rathi Industries Limited ('the Company') will be held on Friday, September 30, 2022 at 3.00 P.M.(IST) to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be circulated for convening the AGM.

Register of Members of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

The notice of the AGM along with Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website **www.rathistelmax.com**, and website of the Stock Exchange i.e. MSE Limited **www.msei.in.**

For further details on updation of email address, bank details and mobile number or any other information, you may refer the Notice of the AGM which shall be available on the Company's website **www.rathistelmax.com** and website of the Stock Exchange **www.msei.in.**

By order of the Board of Directors of
Rathi Industries Limited
Sd/-
(Mukesh Bhardwaj)
Whole Time Director
DIN: 01257936

Date: 01.09.2022
Place: Chhapraula

Form No. 5

The Debts Recovery Tribunal

(9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.)
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 201/2020 **Date: 24-08-2022**

(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure and Rules 1993)

Original Application No. 201 of 2020

STATE BANK OF INDIA .....**Applicant**

Versus

SRI RAJESH KUMAR NAYYAR ....**Defendant(s)**

To,

1. Sri Rajesh Kumar Nayyar S/o Sri V.K. Naiyyar (1) C/o M/s Indian Garments First Floor Chaudhary Company Rana Market, Near Easy Day, Saket Colony, Shahganj, Agra (2) L.G.-10, Pushpanjali Apartment, Mauza Garhi Bhadauriya Near Keshav Kunj, Agra

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in four sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **15-11-2022 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal,
Allahabad

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362 266.
Corporate Office : 10th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East) Mumbai-400 063. Maharashtra.

DEMAND NOTICE

UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES")

The undersigned being the **Authorized officer** of **Aditya Birla Finance Limited (ABFL)** under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) **within 60 days** from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to **ABFL**, **within 60 days** from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to **ABFL** by the said Borrower's respectively.

Sr. No.	Name and Address of the Borrower(s)	Demand Notice Date & NPA Date	Total Outstanding Dues Amount
1	**1. YOGESH KUMAR** S/o. DAYA NAND SOLANKI **2. ANITA SOLANKI** W/o. YOGESH SOLANKI **ADD. 1 :** Property No. 4, RZ-4, Jain Colony, Part-3, Uttam Nagar, Near Hanuman Mandir, D. K. Mohan Garden (West), Delhi-110 059; **ADD. 2 : Royey Footware,** Plot No. 196, Gali No. 22, Matiyala Village, Uttam Nagar, Delhi-110 059. ▪**Mobile No.** 99900 30524. ▪**Email :** yogeshkumar9377@gmail.com **LAN : ABFLND_DSB0000060032 & ABFLND_DSB0000062030**	17th August, 2022 & 15th July, 2022	**₹ 27,55,571.26 (Rs. Twenty Seven Lakh Fifty Five Thousand Five Hundred Seventy One & Twenty Six Paisa Only)** as on **16th August, 2022.**

Description of Immovable property : All that piece and parcel of Property bearing No. RZ4 (Old No. 4) **Land measuring** 57 Sq. Yards i. e. 47.65 Sq. Metres (Size 13'X39') out of Khasra No. 32/20, situated in the revenue estate of Matiala Delhi State Delhi Area Abadi known as colony Jain colony, Part-III, Uttam Nagar, New Delhi-110 059 with all its roof / tarrace rights along with the land under neath of the said property which is **Bounded as under - ❖Boundries : ✦East :** Other Plot; **✦West** : Other Plot; **✦North :** Other Plot; **✦South :** Road 20' Wide.

With further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fail to make payment to **ABFL** as aforesaid, then **ABFL** shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of **ABFL**. That please note that this is a final notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that **ABFL** shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility and costs.

Sd/-
Authorised Officer
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Place : New Delhi
Date : 02.09.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SALE NOTICE

RADIUS INFRATEL PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

Reg. Office: Tricone Tower, Plot No. 4B, 2nd Floor, Mayur Vihar District Centre, Mayur Vihar Extension, New Delhi – 110 091
Liquidator: Arvind Garg
Liquidator's Address: 302-A, Pal Mohan Plaza, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005
Email: arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com, **Contact No.** +91- 97189 31858, 011-47724484/ 85
E-Auction : Sale of Corporate Debtor as a going concern under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of Auction: Tuesday, **September 20, 2022** from 3.00 PM to 4.00 PM (With unlimited extensions of 5 minutes each)

Sale of Radius Infratel Private Limited-in-liquidation as a Going Concern by the Liquidator who has been appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi vide order dated May 31, 2021. The sale will be effected by the Liquidator through e-auction platform **https://ncltauction.auctiontiger.net**

S.No	ASSETS DETAILS	RESERVE PRICE	INCREMENTAL PRICE	EARNEST MONEY AMOUNT
1.	Sale of Corporate Debtor as a Going Concern along with liabilities towards security deposits of customers of the Corporate Debtor *Specific Exclusions:* i. Cash & Cash equivalents (Cash in hand, Cash at bank and other fixed deposits). ii. Any assets or their value recovered through proceedings for avoidance of transactions in accordance Chapter-III of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 iii. Certain pending litigations, details of which shall be provided in the data room. iv. Any due amount realized from any contributory to the corporate debtor towards uncalled capital and / or unpaid capital contribution (including share premium thereon)	₹ 14,00,00,000/-	₹ 5,00,000/-	₹ 1,00,00,000/-

Terms and Condition of the E-auction are as under:

1. E-Auction will be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and on WITHOUT RECOURSE"** basis through approved service provider **E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).**
2. Assets and Liabilities of the Corporate Debtor can be inspected from **September 02, 2022 to September 16, 2022** only on request being made by the interested person and the last date for submission of EMD is **September 16, 2022 latest by 5:00 PM.**
3. The final sale shall be confirmed after approval from Hon'ble NCLT.
4. The complete E-Auction process document containing details of Radius Infratel Private Limited as a going concern, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net

Contact: Mr. Praveen Thevar at +91-97227 78828, 079-68136841
E-mail ID:praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net

Arvind Garg
Liquidator
Radius Infratel Private Limited-in-liquidation
IBBI Reg. No. - IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189
Address: 302A Pal Mohan Plaza Karol Bagh, New Delhi-110005
Email: arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com
Contact No.: +91-97189 31858

Date: 02.09.2022
Place: New Delhi

L&T Finance Limited
Registered Office: 15th Floor, PS Srijan Tech Park
Plot No. 52, Block DN, Sector V, Salt Lake City
Kolkata 700 091, District 24-Parganas North.
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
Branch office: Delhi

L&T Financial Services

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (Herein after referred to as The Act)

We have issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act to you all (Borrower/s, Co-borrower/s & Guarantor/s) through Registered Post Acknowledge Due, as you have defaulted in payment of interest and principal installments of your loan account, and have failed and neglected to clear the said outstanding dues. As a result, the loan account has been classified as Non-Performing Asset (NPA) in the book of account in accordance with the directives relating to asset classification issued by the Reserve Bank Of India. The Notice has been returned as "undelivered" and therefore we are now issuing this notice to you all under 13(2) of the Act and hereby calling upon to repay the amount mentioned in the notice appended below to the L&T Financial Services. (Formerly known as L&T Housing Finance has merged with L&T Finance Limited ('LTF') w.e.f. 12th April, 2021) within the period of 60 Days from the date of this Paper Notification together with further interest and other charges from the date of Demand Notice till payment or realization. In case you are not discharging your liabilities under the terms of this notice, we shall be constrained to exercise all or any one of the rights conferred under Section 13(4) or Section 14 of the Act. "This is without prejudice to any rights available to us under the Act and /or any other law in force from time to time."

Loan Account Number	Borrower/s & Co-borrower/s Name	Demand Notice date / NPA date / Outstanding Amount: NPA Date	Outstanding Amount (₹) As On	Description of the Immovable Property (Mortgaged)
H01292310121022634, H01292310121025439, H01292310121012421 H01292310121012421L	1. Swati Aggarwal 2. Manish Kumar Gupta	Demand Notice Date: 13.08.2022 NPA Date: 30-06-2022	Total Amount Of Is Rs. 33,81,350.44/- (Rupees Thirty Three Lakhs Eighty One Thousand Three Hundred Fifty And Paise Forty Four Only) As On Date 13-08-2022	**Schedule – I** All The Piece And Parcel Of The Property Address: D.D.A Builtup Flat No. 16-C, 2nd Floor, Area Measuring Lig Type-iii, Pocket-B, Category-LIG, Situated At West Gorakh Park Extension, Residential Scheme Shahadara, Delhi 110032 Boundaries: East – Open; West – Entry; North – Flat No. 15C; South – Flat No. 14C

Date: 02.09.2022
Place: Delhi

Sd/-
Authorized Officer
For L&T FINANCE LIMITED

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN : L24239HR1984PLC040797

Registered Office: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road Dharuhera Rewari HR-123401
Tel: +91-7419885077 | **Email**: newtimeinfra2010@gmail.com | **Website:** www.newtimeinfra.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone Quarter Ended 30.06.2022 (Un-Audited)	Standalone Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Standalone Quarter Ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Standalone Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Consolidated Quarter Ended 30.06.2022 (Un-Audited)	Consolidated Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Consolidated Quarter Ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Consolidated Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	12.50	-	-	-	12.50	-	-	-
2.	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	(99.46)	(113.20)	(122.02)	(464.74)	(109.43)	(111.44)	(127.85)	(502.68)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(99.46)	(113.20)	(122.02)	(464.74)	(109.43)	(111.44)	(127.85)	(502.68)
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(77.34)	(2,285.95)	(122.02)	(2,641.65)	(87.31)	(2,284.18)	(127.85)	(2,679.59)
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(77.34)	(2,285.95)	(122.02)	(2,641.65)	(87.31)	(2,284.18)	(127.85)	(2,679.59)
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(77.34)	(2,284.69)	(122.02)	(2,640.39)	(76.74)	(2,349.96)	(201.86)	(2,781.17)
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46
8.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of pervious accounting year				(770.51)				6,345.58
9.	Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations)								
	(a) Basic	(0.05)	(1.34)	(0.07)	(1.55)	(0.05)	(1.38)	(0.12)	(1.63)
	(b) Diluted	—	—	—	—	—	—	—	—

Notes to financial results:

1. The above Un-Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 31st August, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 31st August, 2022.
2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Oblitgations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have carried out a "Limited Review" of Unaudit of the standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022.
3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended).
4. Exceptional items for the quarter represents profit of Rs. 22.12 lakh is belongs to previous quarter exceptional loss extra booked wrongly, which is reversed during this period . This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) 109.
5. Previous year figures have been regrouped / reclassified , wherever considered necessary to confirm to the current Period presentations.
6. As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.
7. The Company has opted to submit standalone and consolidated financial results for the quarter, pursuant to the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
8. The Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE Ltd.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
Sd/-
Ashish Pandit
Whole Time Director
DIN: 00139001

Date: 02/09/2022
Place: New Delhi

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

HINDUJA HOUSING FINANCE

Corporate Office new: 167-169, 2ND Floor, Little Mount. Saidapet, Chennai – 600 015
Regional Office: 9th Floor, Unit no – 910, Plot no – TC/G-2/2 & TC/G-5/5, Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow, UP - 226010
Authorized Officer Details:,Arun Kumar Singh, Contact No.: +91 9506011777; Email: arunkumar.singh@hindujahousingfinance.com'
Branch office: 203, 2nd Floor, Padam Business Park, Awas Vikas, Agra-282007

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO HHFL UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT).

LAST DATE OF SUBMISSION OF OFFER ALONG-WITH APPLICATION UPTO 07/09/22.

The undersigned as Authorized Officer of HHFL has taken over possession of the schedule property us/ 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large is informed that the secured property as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to HHFL for realization of it's dues on **"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".**

Standard terms & conditions for sale of property through Private Treaty are as under: -

1. Sale through Private Treaty will be on **"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".**
2. The purchaser will be required to deposit 25% of the sale consideration on the next working day of receipt of HHFL's acceptance of offer for purchase of property and the remaining amount within 15 days thereafter.
3. The purchaser has to deposit 10% of the offered amount along with application which will be adjusted against 25% of the deposit to be made as per clause (2) above.
4. Failure to remit the amount as required under clause (2) above, will cause forfeiture of amount already paid including 10% of the amount paid along with application.
5. In case of non-acceptance of offer of purchase by the HHFL, the amount of 10% paid along with the application will be refunded without any interest.
6. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to HHFL. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims / rights / dues.
7. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property (under sale through private treaty) to his satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date.
8. HHFL reserves the right to reject any offer of purchase without assigning any reason.
9. In case of more than one offer, HHFL will accept the highest offer.
10. The interested parties may contact the Authorized Officer for further details / clarifications and for submitting their application.
11. The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee, and other expenses, taxes, duties in respect of purchase of the property.
12. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act / Rules.

SCHEDULE Description of the Property (Part of Secured Asset)	Reserve Price
(1) Excellent Dream Garden Plot No-18 Khasra No 622, Mauja -Semri Tehsil & Distt. Agra (UP), Admeasuring 83.61 Sq. Meter East: Road 7.5 Meter wide,West: Plot Digar. North: Plot No 19,South: Plot No 17	**Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight Lacs Only)**
(2) Situated at Plot No-01 Khasra No 01 Mauja -Nagla Kali Gram/Mohalla-Bakey Triloki Rakcha Vihar Face-2 Tehsil & District Agra (UP), Admeasuring 186.69Sq. Meter East: Plot No-01-H & 01-I,West: Road 7.31Meter & Exit. North: Plot No-Digar(Triloki), South: Plot No-1-B	**Rs. 8,50,000/- (Rupees Eight Lacs Fifty Thousand Only)**

Place: Agra
Date: 01-09-2022

Authorised Officer,
HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED